कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड़ देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 150 /FP/UK/ROAD/9574/2015 :देहरादूनः दिनांकः 25 जुलाई 2023

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण ,
उत्तराखण्ड़ शासन।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंर्तगत नाकुरी–सिंगोट मोटर मार्ग से पाव मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.092 है0 आरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड़ को प्रत्यावर्तन करने के संबध मे।

सन्दर्भः– उत्तराखण्ड़ शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 के पत्रांक–200/x-1-15/1(114)2015, दिनांक–02.05.2015।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड़ शासन के द्वारा विषयांकित प्रकरण पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसकी अनुपालन आख्या वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की गयी हैः–

क्र० स०	शर्त	अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.184 हे0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि(वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है, इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नमान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रहीं सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.184 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 28,3920.00(अट्ठाईस लाख, तीन हजार नौ सौ बीस) की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है, व विषयगत मार्ग हेतु ली गई 1.092 है0 वन भूमि के सापेक्ष दोगुने क्षेत्रफल 2.814 हे0 हेतु चयनित स्थल ग्राम पाव तहसील–डुण्ड़ा खसरा संख्या–756 रकवा 2.184 है0 सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम अमल दरामद कर दिया गया है।(संलग्नक–1) उक्त शर्त के अनुपालन में शासनादेश संख्या–1415/x-3-2111(114)/2015, दिनांक–22.10.2021 के कम में उक्त मोटर मार्ग के वन भमि हस्तान्तरण में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु नामान्तरित/हस्तान्तरित सिविल सोयम भूमि को संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है।(संलग्नक–02)
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि(वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग के दोनो ओर रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु द्वारा मांग नहीं की गयी है।(संलग्नक–03)
3.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।(संलग्नक–3) तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 के संशोधित दरों के अनुसार जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि रू0 4,89,052.20 (चार लाख, नव्वासी हजार, बावन रू0) का भुगतान वन विभाग के पक्ष में ऑनलाईन कर दिया गया है।(संलग्नक–4)

4.	प्रयोक्ता अभिकरण मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0 संख्या–556 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक–05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण कैम्पा के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स, फेज–11, लोधी रोड़ नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या(जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में एन0पी0वी0 के आंकलन धनराशि के प्रमाण पत्र के हरियाली का घनत्व टंकण त्रुटि के कारण 0.20 अंकित हुआ है। जबकि प्रस्ताव में ऑनलाईन परिवेश पोर्टल मे हरियाली का घनत्व 0.40 अंकित है एवं इसी आधार पर एन0पी0वी0 आंकलन कर धनराशि प्रयोक्ता विभाग से जमा करवाई गयी है। उक्त हरियाली घनत्वा के प्रमाण पत्र में घनत्व को संशोधित कर 0.40 अंकित कर दिया गया है।**(संलग्नक–5)**। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी धनराशियों की प्रति संलग्न है।**(संलग्नक–6)**
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।**(संलग्नक–07)**
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम–2006 के अंर्तगत आवश्यक अभिलेख/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।**(संलग्न–08)**
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
8.	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त निर्धारित शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

19/07

(आर0के0मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,

वन संरक्षण,उत्तराखण्ड,देहरादून।

संख्या : 150 / FP/UK/ROAD/9574/2015तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी ।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी।

(आर0के0मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,

वन संरक्षण,उत्तराखण्ड,देहरादून।